


तारीख
हुकम

हुकम या कारवाही मया इतिहास जज

28/2/2020 :- आज वाह पत्रावली
पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
नहीं। इन्फि मूलवाद अदम फेंकी
अदम हाजिरी में खारीज किया
जा चुका है। इसलिए प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI Act
पलने का कोई ओचित्य नहीं
रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212 RTI Act
में खारीज किया जाता है।
पत्रावली फेंसल हुमार होकर
नम्बर से कम होकर वाह
पूर्ति संलग्न मूलवाद है।


SDO Rema